FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

अनिल कुमार पुत्र श्री हीरालाल जाति अहीर निवासी बीरनवास तह0 नीमराना

बनाम

औमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल जाति अहीर निवासी बीरनवास तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 149 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयं इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	25.05.2023 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्राथीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 281 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम घिलोठ तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। वास्ते तलबी रजि0 अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज0	
26-6-23	आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के वकील उपस्थित है तलबी को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते २१० जि० तलबी दिनांक 27-9-23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर नीमराना (अलवर)	

31/1/23 आज यह पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्तुत किये जाने का ज्ञापन प्राप्त किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 31/1/23 को पेश हो।

लिपिक

21-12-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से [illegible] उपस्थित। [illegible] अधि. तलबी [illegible] पत्रावली वास्ते अधि. तलबी दिनांक 23-4-24 को पेश हो।

उप जिला मजिस्ट्रेट
नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)

23-4-24 आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश पर [illegible] रहने से। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 9-7-24 को पेश हो।

9.7.24 आज यह प्रार्थना-पत्र 212 R.T.A. प्रकरण के साथ पेश हुआ। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र को भी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद मूल प्रकरण संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)